न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
04 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	08.01.2016	15.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–विक्रेता श्री मुरारी लाल साहू पुत्र श्री लल्लूराम साहू जाति तेली निवासी तेलियों की गली मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक मैसर्स मथुरा मिष्ठान भण्डार घंटाघर के पास टोंक जिला टोंक
2–श्री राजेन्द्र कुमार साहू पुत्र श्री लल्लूराम साहू जाति तेली निवासी तेलियों की गली मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स मथुरा मिष्ठान भण्डार घंटाघर के पास टोंक जिला टोंक

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनु.।

:–निर्णय–: दिनांक 15.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.11.2015 को समय 11:30 ए.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मथुरा मिष्ठान भण्डार घंटाघर के पास टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री मुरारी लाल साहू पुत्र श्री लल्लूराम साहू उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर प्रतिष्ठान का प्रोपरायटर श्री राजेन्द्र कुमार साहू पुत्र श्री लल्लूराम साहू को होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में स्टील के भगोने में लगभग 70 किलोग्राम **काला गुलाब जामुन (खोया एवं वनस्पति बेस्ड स्वीट)** रखा हुआ था जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री मुरारी लाल साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता मुरारी लाल साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **काला गुलाब जामुन (खोया एवं वनस्पति बेस्ड स्वीट)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं, 70 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने खरीदशुदा **काला गुलाब जामुन (खोया एवं वनस्पति बेस्ड स्वीट)** 2 किलोग्राम को पूर्णतया होमोजिनियस कर बराबर–बराबर चार भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 40–40 बूंदें डालकर अच्छी तरह हिलामिलाकर चार साफव सूखी प्लास्टिक की बोतलों में भरकर, ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर, चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–1226 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1226 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/4683 दिनांक 03.12.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/952/एक्ट/2015/874 दिनांक 26.11.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **काला गुलाब जामुन (खोया एवं वनस्पति बेस्ड स्वीट)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Substandard)** स्तर का **काला गुलाब जामुन (खोया एवं वनस्पति बेस्ड स्वीट)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 19.02.2016 को श्री हनुमान साहू एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग दिया एवं वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु वकालतनामा हेतु कई अवसर देने के बावजूद भी उनकी ओर से वकालतनामा पेश नहीं किया गया। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **काला गुलाब जामुन (खोया एवं वनस्पति बेस्ड स्वीट)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने बहस एवं जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **काला गुलाब जामुन (खोया एवं वनस्पति बेस्ड स्वीट)**का नमूना जांच में **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 1,50,000/– (अक्षरे एक लाख पचास हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0